

नगरीकरण एवं भारतीय संयुक्त परिवार (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

Urbanization and Indian Joint Family A Sociological Study

Paper Submission: 15/11/2021, Date of Acceptance: 22/11/2021, Date of Publication: 24/11/2021

सारांश

संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार है। संयुक्त परिवार भारतीय जीवन शैली का एक ऐसा प्रतिमान है, जो धार्मिक लक्ष्यों एवं सामाजिक कर्तव्यों की परस्पर अंतःक्रिया का विशेष प्रतीक रहा है। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक रूप से परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एकाधिक कारकों का योगदान रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगीकरण है। जिसके कारण गाँव से नगर की ओर लोगों का पलायन हुआ जिससे परिवार की संरचना एवं कार्य प्रभावित हुए। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति को ज्ञात करना तथा नगरीयपरिस्थितियों के संदर्भ में परिवार के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध पत्र लेखन के लिए बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय के निकटवर्ती पाँच मोहल्लो से 10 परिवारों का उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा चयन कर प्राथमिक तथ्यों के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया गया है। प्राप्त तथ्यों के वर्गीकरण, एवं विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि 70 प्रतिशत परिवार (7 परिवार) संरचनात्मक दृष्टि से एकाकी हैं 30 प्रतिशत परिवार (3 परिवार) संयुक्त हैं, जिनमें दो परिवारों के सदस्यों की संख्या क्रमशः 4 एवं 5 ही हैं, लेकिन 3 पीढ़ी एक साथ रहती हैं। एक संयुक्त परिवार 13 सदस्यों वाला है लेकिन प्रकार्यात्मक रूप से वह संयुक्त नहीं है। जबकि 7 एकाकी परिवारों में से 5 ऐसे हैं जो स्वरूप से एकाकी हैं लेकिन उनमें संयुक्तता के तत्व पाए गए हैं जबकि 2 एकाकी परिवारों में संयुक्तता का अभाव देखा गया है। वास्तव में नगरीय परिवार न तो पूरी तरह से संयुक्त है, न ही एकाकी इनमें एक मिश्रित रूप के दर्शन होते हैं।

माधुरी वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
जवाहरलाल नेहरू स्मारक
पी. जी. कॉलेज,
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश,
भारत

Joint family is the mainstay of Indian social structure. Joint family is one such model of Indian way of life, which has been a special symbol of the interplay of religious goals and social duties. At present, structural and functional changes are visible in the joint family. Multiple factors have contributed to the process of urbanization, in which the most important factors are population growth and industrialization. Due to which there was migration of people from the village to the city, which affected the structure and functions of the family. The purpose of the present research is to find out the nature of changes in the joint family and to study the structural and functional nature of the family in the context of urban conditions. For writing the present research paper, 10 families from five neighborhoods near district headquarters of Barabanki district were selected by purposeful sampling and collected the facts through personal study method for primary facts. Based on the classification and analysis of the obtained facts, it becomes clear that 70 percent of the families (7 families) are structurally nuclear, 30 percent of the families (3 families) are joint, in which the number of members of two families are 4 and 5 respectively, but 3 generations live together. A joint family consists of 13 members but is not functionally joint. Whereas out of 7 nuclear families, there are 5 such that are nuclear in nature but elements of jointness have been found in them, whereas lack of jointness is seen in 2 nuclear families. In fact, the urban family is neither completely joint, nor is it a single united family.

शब्द : नगरीकरण, विकास, परिवार, परिवर्तन, संरचना, प्रकार्य, मिश्रित स्वरूप।

Keywords: Urbanization, development, family, change, structure, function, mixed form.

प्रस्तावना

संयुक्त परिवार भारतीय सामाजिक संरचना का प्रमुख आधार है। परंपरागत भारतीय जीवनदर्शन एवं मूल्यों ने संयुक्त परिवार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। संयुक्त परिवार भारतीय जीवन शैली का ऐसा प्रतिमान है जो धार्मिक लक्ष्यों एवं सामाजिक कर्तव्यों की परस्पर अन्तः क्रिया का एक विशेष प्रतीक रहा है। समाजशास्त्र मुख्यतः व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है लेकिन इसे समझने के लिए सामुदायिक जीवन का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। स्मॉल (Small) एवं गालपिन (Galpin) जैसे विद्वानों ने गाँव, नगर व प्राथमिक समूहों के अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति का वृहद समूह के साथ क्या संबंध है?

चालर्स कूले ने भी इन्ही अध्ययन के आधार पर मानव समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के रूप में विभाजित किया। इनके अनुसार प्राथमिक समूहों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर द्वितीयक समूहों की अपेक्षा अधिक स्थाई प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक समूहों में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह है। इसी आधार पर के. एम. पणिक्कर ने लिखा है कि – “हिन्दू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि संयुक्त परिवार है।” इरावती कर्वे ने भी लिखा है कि – “संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, पूजा में समान रूप से भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं।”

संयुक्त परिवार का अस्तित्व भारतीय समाज में प्राचीन काल से रहा है, यह व्यवस्था परंपरागत कृषि समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल रही है।

वर्तमान हिन्दू परिवार प्राचीन वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक स्तरों से गुजरा है, लेकिन फिर भी इसकी अनेक विशेषताएँ आज भी समान रूप से बनी हुई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी संयुक्त प्रकृति है जहाँ पति पत्नी, माता पिता, उसके भाई बहन एवं अन्य सगे संबंधी एक साथ एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, जहाँ परिवार व्यवस्था का संचालन परिवार का वयवृद्ध पुरुष करता है। पी. एन. प्रभु (1963)³ के अनुसार “हिन्दू परिवार पर विचार करते समय जो सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है, वह उसकी संयुक्त प्रकृति है। किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नगरों में संयुक्त परिवार में विघटन की प्रवृत्ति बढ़ी है।”

राजेन्द्र शर्मा (2003)⁴ ने नगरीयपरिवार की अनेक विशेषताएँ बताई हैं – “केंद्रीयकृत परिवार, स्त्रियों की उच्च प्रस्थिति, परिवार का महत्व कम होना, औपचारिकता की भावना, अनुशासन एवं नियंत्रण में कमी तथा धार्मिक भावना में कमी।”

भारतीय परिवार का विश्लेषण संरचनात्मक एवं अन्तरक्रियावादी रूप से किया गया है। यह मूल्यांकन मुख्य रूप से जिन समाजशास्त्रियों पर आधारित है वह हैं – आई. पी. देसाई, के. एम. कपाड़िया, रॉस, एम. एस. गोरे एवं ए. एम. शाह। अन्तरक्रियावादी उपागम एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम है जो परिवार के विभिन्न पारस्परिक आदर्शों पर बल देता है। चालर्स कूले, मीड, बर्जेस एवं लॉक (1945)⁵ ने परिवार के प्रकारों – आर्थिक, शैक्षिक, मनोरंजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं परिवार के धार्मिक प्रकारों को एक से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के रूप में देखा है जो कि परिवार की सुख शांति एवं सदस्यों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। परिवार का अध्ययन करने वाले विचारकों ने पारिवारिक जीवन की विविधता को ध्यान में रखते हुए अनेक अवधारणाओं का प्रयोग किया है जैसे निमकॉफ ने पोटेनशीयली जॉइन्ट, रेजीड्यूली जॉइन्ट, पोटेनशीयली न्यूक्लीयर की अवधारणा का प्रयोग किया है। कोहेन ने अन्स्टैबल जॉइन्ट फॅमिली की अवधारणा का प्रयोग किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि समाज वैज्ञानिकों ने भारत में पारिवारिक जीवन के विभिन्न पक्षों एवं परिवर्तनशील प्रकृति के संबंध में विभिन्न संकल्पनाओं का प्रयोग किया है।

नगरीकरण के उदविकासीय कारकों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि इसके उद्विकास में एकाधिक कारकों का योगदान रहा है जिसमें जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक रहा है। जनसंख्या वृद्धिके कारण ही लोगों का गाँवों से नगरों की ओर पलायन हुआ है। जनसंख्या का गाँव से नगर की ओर प्रति स्थापन ही नगरीकरण है।

सुनील गोयल (2000)⁶ ने अपनी पुस्तक “नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा” में बताया है कि – “नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिससे नगरों का विकास होता है, तथा सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होता है।”

किंग्सले डेविस (1951)^{Population of India and Pakistan}, एवं गोरे (1990) Urbanization and Change नामक पुस्तक में नगरीकरण को सम्पूर्ण जनसंख्या में निवासित व्यक्तियों का कुल अनुपात में वृद्धि से संबंधित माना है तथा नगरीकरणका अर्थ नगरों में रहने वालों की आनुपातिक वृद्धि को माना है। एम. एस. ए. राव (1990)⁸ ने Reader in Urban Sociology में नगरीकरण को सामाजिक परिवर्तन के एक पहलू के रूप में वृहद वैश्विक प्रक्रिया माना है, जिसमें जाति व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था, संयुक्त परिवार से केन्द्रीयकृत परिवार, धार्मिक से लौकिक, धार्मिक विश्वास व्यवस्था से लौकिकतावादी दृष्टिकोण में परिवर्तन भारतीय कस्बों एवं नगरों में दिखाई देते हैं।

नगरीकरण की अवधारणा को इसके आधारों के आधार पर भलीभाँति ढंग से समझा जा सकता है। अधिकांश समाजशास्त्रियों ने नगरीकरण की अवधारणा को इन्ही आधारों से संबंधित किया है। इसके आधारों में जनांककीय आधार, ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय क्षेत्र की ओर गतिशील होना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव, आर्थिक एवं औद्योगिक गतिशीलता, कृषि के स्थान पर गैर कृषि व्यवसाय करना आदि प्रमुख एवं महत्वपूर्ण हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

संयुक्त परिवार का अस्तित्व भारतीय समाज में प्राचीन काल से रहा है, यह जीवन के लक्ष्य एवं संस्कारों की पारस्परिक एकता का प्रतिबिंब रहा है। यह व्यवस्था व्यक्ति के धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति का सशक्त माध्यम रही है। लेकिन आधुनिक नगरीय विकास की नवीन परिस्थितियों और औद्योगिक समाज की नई आवश्यकताओं के कारण संयुक्त परिवार के साथ अभियोजन करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध पत्र लेखन के निम्नांकित उद्देश्य हैं:

1. संयुक्त परिवार व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति को ज्ञात करना।

2. नगरीय एवं औद्योगिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में संयुक्त परिवार के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक पक्षों का अध्ययन करना।
3. वर्तमान परिवेश में एकाकी परिवारों का वास्तविक स्वरूप कैसा है? इसका अध्ययन करना।

उपकल्पना

शोध विषय के संबंध में शोधकर्ता द्वारा निर्मांकित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है:

1. नगरीय परिवार संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन अपनी परंपरागत विशेषताओं से जुड़े हैं।
2. नगरीय परिवार अलग - अलग रहने के बाद भी विशिष्ट अवसरों पर एकजुट होते हैं।
3. महिलाएं भी पुरुषों के साथ जीविकोपार्जन में बराबर सहयोग करने लगी हैं। तथानिर्णय लेने में भी समर्थ हो रही हैं।
4. गतिशीलता को बढ़ावा मिल रहा है।
5. जाति प्रथा के प्रभाव में कमी आ रही है।
6. पारिवारिक संबंधों की परिधि सीमित हो रही है।

अध्ययन का क्षेत्र

बाराबंकी जनपद के नवाबगंज तहसील के नगर क्षेत्र के मोहल्ले जो नगरीय विकास क्रम का परिणाम है, को अध्ययन हेतु चयनित किया गया है।

शोध प्रविधि**अनुसंधान प्ररचना**

प्रस्तुत शोध पत्र में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक अनुसंधान प्ररचना का उपयोग किया गया है।

निदर्शन चयन

शोधकर्ता द्वारा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति का उपयोग करते हुए 5 मोहल्लों--लखपेड़ा बाग, आवास विकास कालोनी, काशीराम कॉलोनी, लक्ष्मण पुरी कॉलोनी एवम दशहरा बाग से दो - दो परिवारों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है।

तथ्य संकलन

तथ्यों के संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एवं साक्षात्कार प्रविधि प्रयोग में लाई गई है।

केस अध्ययन -1

परिवार में कुल सदस्य -4

श्रीमती कमला देवी, विवाहित पुत्र, बहू एवं एक पोती, आयु क्रमशः 56, 35, 32 एवं 4 वर्ष। शिक्षा क्रमशः अशिक्षित, कक्षा 8, कक्षा 9. बेटा बेरोजगार है, बहू 4 घर में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करके प्रतिमाह 6 से 7 हजार कमा लेती है, जिससे परिवार चलता है। कलावती भी यही काम करके 2000 तक कमा लेती हैं लेकिन घर पर खर्च नहीं करती है। ये 10 वर्ष से मूल परिवार जो कि लगभग 3 किमी. दूर है से अलग हैं। लेकिन जन्मदिन, मंडन, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर सब एक साथ होते हैं। कुछ दिन पूर्व कलावती के जेठ का देहांत हुआ था जिसके सारे संस्कार इनके बेटे ने वहीं रहकर संपन्न किए थे क्योंकि उनके बेटा नहीं है। कलावती की बहू घर का खर्च चलाती है इसलिए घर के महत्वपूर्ण निर्णय भी करती है। अपनी पसंद के कपड़े पहनती है। सासू मां को बोलने का हक नहीं है, वह जागरूक है अपनी बेटा को अच्छी शिक्षा देना चाहती है।

केस अध्ययन -2

परिवार में कुल सदस्य -4

राम खेलावन, पत्नी, पुत्र एवं पुत्री। आयु क्रमशः 36,31,7 एवं 4 वर्ष। शिक्षा क्रमशः स्नातक, इण्टरमीडिएट, कक्षा 2, नर्सरी। ये कचहरी में काम करते हैं राशन गांव से आ जाता है। इनका मूल आवास 35 किमी. दूर है। प्रत्येक त्योहार एवं अन्य अवसरों पर वहां जाते रहते हैं। वहां मां, पिता एवं भाई का परिवार रहता है। कभी कभी ये लोग भी यहां आते रहते हैं। नगर में रहने के कारण रामखेलावन की पत्नी का पहनावा, रहन - सहन, बोली व्यवहार, कार्य प्रणाली में काफी परिवर्तन हो गया है। वह आत्म निर्भर बनना चाहती है। बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम के अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। पति पत्नी दोनों आपसी सलाह से काम करते हैं।

केस अध्ययन -3

परिवार में कुल सदस्य -13

श्रीमती विद्यावती, 3 पुत्र, 3 बहूएं, 1 अविवाहित पुत्री, 2 पोते, एवं 3 पोतियां हैं। आयु क्रमशः 65, 46, 35, 30, 40,31, 28,26, 18,16, 8,5 एवं 3 वर्ष। शिक्षा क्रमशः अशिक्षित, कक्षा - 8,9,10,5,8,8, परास्नातक, इंटर, हाई स्कूल, 3 एवं कक्षा 1.तीनों बेटे और बहूएं अलग अलग खाना बनाती हैं, सबके काम अलग अलग हैं, ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं है कहने के लिए एक छत के नीचे निवास कर रहे हैं। जैसे जैसे बेटों के विवाह होते गए चूल्हे भी अलग होते गए। दो बेटों ने अलग घर बनाने के लिए जमीन खरीद ली है। इस समय सब मुफ्त में राशन पा रहे हैं, विद्यावती को विधवा पेंशन मिल रही है बेटा ट्यूशन पढ़ा कर अपना खर्च चला लेती है। बेटे अपनी आय के अनुसार मां की मदद करते हैं। बीमारी आदि की अवस्था में बहूएं खाना आदि बना देती हैं, लेकिन ये भी उनके मूड पर निर्भर है।

केस अध्ययन-4

परिवार में कुल सदस्य -4

अरविंद पाल,पत्नी, पुत्र, पुत्री। आयु क्रमशः 44, 40, 12 एवं 9 वर्ष। शिक्षा क्रमशः स्नातक, हाई स्कूल, बेटा कक्षा 6 एवं बेटी 3 में है। ये सरकारी नौकरी में हैं इनका मूल निवास जनपद अयोध्या है। वहां माता पिता एवं चाचाजी रहते हैं, सम्पत्ति संयुक्त है, इनके दो अन्य भाई भी नौकरी के कारण घर से दूर हैं। ये प्रति माह अपने मां बाबू जी के पास खर्च के लिए पैसे भेजते हैं। जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता है घर चले जाते हैं, विशिष्ट आयोजनों पर सभी भाई सपरिवार एकत्र होते हैं। मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के हाल पता करते रहते हैं।

केस अध्ययन-5

परिवार में कुल सदस्य -5

श्री नवीन सिंह, पत्नी, 2 पुत्र एवं 1 पुत्री। आयु क्रमशः 50,47,19,17 एवं 14 वर्ष। शिक्षा एम.ए. बी.एड, एम.ए. बी.टेक द्वितीय वर्ष, इंटर मीडिएट, कक्षा 9,ये जौनपुर के निवासी हैं। यहां एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं, पत्नी भी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका हैं।जौनपुर की जमीन का भाइयों में बंटवारा हो चुका लेकिन मकान संयुक्त है। वर्ष में एकाध बार सभी अवश्य एकत्र होते हैं। विवाह आदि के अवसर पर भी सभी परिवार एक साथ होते हैं, मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे का हाल जानते रहते हैं।

केस अध्ययन-6

परिवार में कुल सदस्य -5

राजीव वर्मा, पत्नी, 2 पुत्री, 1 पुत्र। आयु क्रमशः 36, 34, 10,7 एवं 3 वर्ष। शिक्षा क्रमशः एम. एस सी, गणित, इंटर मीडिएट, कक्षा 5 एवं 2. राजीव जूनियर हाई स्कूल में गणित के अध्यापक हैं।इनका मूल निवास 22 किमी. दूर है बाराबंकी का आवास भी इनका अपना ही है। इनका बड़ा भाई गोंडा में कार्यरत है उसकी पत्नी और बच्चे साथ ही हैं। गांव में केवल पट्टीदार हैं, एक गांव की ही महिला घर की साफ सफाई करती है। जमीन बटाई पर दे दी है।अब साल में एकाध बार फसल का हिसाब लेने जाते हैं। जन्मदिन आदि का उत्सव शहर में ही किया जाता है। जब समय मिलता है भाइयों के परिवार आपस में मिलते रहते हैं। मोबाइल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। बच्चे भी जल्दी गांव जाने को तैयार नहीं होते हैं।

केस अध्ययन-7

परिवार में सदस्यों की संख्या -4

श्रीमती मंजू देवी, पति, पुत्री, पुत्र। आयु क्रमशः 48, 50,24, 20 वर्ष। शिक्षा इंटर मीडिएट, हाई स्कूल, बी. एससी, इंटर में अध्ययनरत। मंजू देवी का पति अर्धविच्छिन्न है ये तीन घर में खाना बनाती है, बेटी निजी स्कूल में पढ़ाती है साथ ही साथ ट्यूशन भी पढ़ती है। सास ससुर के देहांत के बाद घर का बंटवारा हो गया है बीच में दीवार उठ गई है। जेठानी का परिवार एक पड़ोसी की ही भांति है। मंजू अपने अनुसार रहती है, कपड़े पहनती है,जब तक सास ससुर जीवित थे, वह घर के अंदर रहती थीं साड़ी पहनती थी। दोनों परिवार पास होते हुए भी पास नहीं है। जन्मदिन आदि के अवसर पर भी साथ नहीं होते हैं।

केस संख्या -8

परिवार में कुल सदस्य -3

निशांत मिश्रा, पत्नी, पुत्री। आयु क्रमशः 49, 48 एवं 14 वर्ष। शिक्षा क्रमशः एम. एस सी, बी. एस सी. बी. एड, बेटी कक्षा 9 में पढ़ती है। निशांत एल. आई. सी. में कार्यरत हैं, पत्नी घर में ट्यूशन पढ़ाती है। इनका मूल आवास बलिया में है। माताजी बलिया में ही रहती हैं लेकिन जब बाराबंकी आती है तो कुछ दिन ठहर कर जाती हैं। निशांत के घर पर काम करने वाली एक निम्न जाति की महिला है। मां के आने पर उसकी असली जाति नहीं बताई जाती है मां पुराने विचारों की हैं। जब मां गांव में होती हैं तब भी बहू को फोन पर बताती रहती है कि कब कौन त्यौहार है और उसमें कैसे पूजा करना है। गांव जाने पर और मां के सामने बहू सिर पर पल्लू रखती है, साड़ी पहनती है अन्यथा शलवार कुर्ता, गाउन आदि पहनती हैं।

केस अध्ययन -9

सदस्यों की कुल संख्या -2

राम राज, पत्नी। आयु क्रमशः 40 एवं 35 वर्ष। शिक्षा क्रमशः इंटर एवं कक्षा 8 पास। मूल निवास रायबरेली के निकट एक गांव है, बिगत 7 वर्ष से यहां रह रहे हैं आमदनी का साधन आटो रिक्शा है। प्रारंभ में बोली, पहनावा, खान पान में गांव की झलक दिखती थी। आज पति पत्नी दोनों शहरी रंग में रंग गए हैं। राम राज कभी कभी गांव जाते रहते हैं लेकिन पत्नी को अब गांव का जीवन नहीं भाता है, कुछ खास अवसरों पर ही गांव जाति है। क्योंकि यहां पर कोई टोकने वाला नहीं है मनमाने तरीके से रहती हैं। राम राज के माता पिता अभी जीवित हैं इसलिए सम्पत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है।

केस अध्ययन -10

परिवार में सदस्यों की कुल संख्या -5

श्री अजय श्रीवास्तव, पिता जी, पत्नी, पुत्र, पुत्री। आयु क्रमशः 46,70,44,15 एवं 10 वर्ष। शिक्षा क्रमशः एम. एस सी, स्नातक, एम. ए., हाई स्कूल एवम कक्षा 5. अजय सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं, पिता जी रिटायर्ड हैं मां का देहांत हो चुका है। ये 3 भाई हैं लेकिन सभी अलग अलग मकान में रह रहे हैं। सारे भाई एवं उनकी पत्नियां पिता जी का बहुत सम्मान करते हैं छोटे से छोटे अवसरों पर भी सभी एक साथ होते हैं। सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में नगरीकरण का संयुक्त परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह ज्ञात करने हेतु 10 नगरीय परिवार जिनमें सदस्यों की कुल संख्या 49 है, का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया गया। तथ्यों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत हैं -

1. 10 परिवारों में से मात्र 3 परिवार ऐसे निकले जहां 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास कर रहे हैं (केस संख्या क्रमशः 1, 3 एवं 10)
 2. संरचनात्मक दृष्टि से परिवार परिवर्तित हो रहे हैं। 10 में से 9 (90%) परिवार 3, 4 एवं 5 सदस्यों वाले ही हैं जिनमें से 2 परिवार (20%) में 3 पीढ़ी के लोग साथ हैं। मात्र एक परिवार ही 13 सदस्यों वाला है जो की संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार है, एक छत के नीचे निवास करता है, लेकिन प्रकार्यात्मक दृष्टि से उन्में भिन्नता है।
 3. 70 प्रतिशत (7 परिवार) संरचना की दृष्टि से एकाकी हैं, लेकिन इनमें से 5 परिवार प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार से जुड़े हुए हैं जबकि 2 परिवारों में संयुक्तता नहीं पाई गई।
 4. स्त्रियों में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो रही है।
 5. बच्चों की पढ़ाई के संबंध में सचेत हैं, पढ़ाई के लिए घर से बाहर भेजने के लिए भी तैयार हैं। यह गतिशीलता का सूचक है।
 6. एकाकी परिवार में होने के कारण महिलाओं के पारंपरिक पहनावे में भी परिवर्तन हो रहा है।
 7. अधिकांश परिवार मंडन, विवाह, जन्मदिन, मृत्यु आदि के अवसर पर अवश्य एकजुट होते हैं।
 8. नई पीढ़ी के बच्चों में संयुक्तता के प्रति अधिक उत्साह नहीं दिखाई पड़ा।
 9. शोध के दौरान यह भी देखा गया कि नगरीय परिवार में जातिगत प्रभाव शिथिल हो रहे हैं।
 10. जिस परिवार में महिलायें आत्मनिर्भर हैं वहाँ वह पारिवारिक निर्णय में भी भागीदारी करती हैं।
- नगरीकरण के फलस्वरूप परिवार के स्वरूप में बदलाव आया है। देसाई (1964)⁹, कपाड़िया(1966)¹⁰, ए. एम. शाह (1964)¹¹ आदि समाजशास्त्रियों ने संयुक्त एवं एकाकी परिवार को विकास चक्र की प्रक्रिया बताया है। एम. एस. गोरे (1968)¹², रॉस (1967)¹³ आदि समाजशास्त्रियों ने भी अपने अध्ययन में संयुक्त से एकाकी परिवार या नाभिकीय परिवार की ओर परिवर्तन माना है।- उपर्युक्त विश्लेषण एवं शोध पत्र के सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण के परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि संयुक्त परिवार के स्थान पर पूर्णतयः एकाकी परिवार विकसित हो रहे हैं। बल्कि संयुक्त और एकाकी परिवार का मिला जुला स्वरूप समाज में दिखाई पड़ रहा है, अनेक ऐसे एकाकी परिवार हैं जिनमें संयुक्तता के तत्व निहित हैं, और अनेक ऐसे संयुक्त परिवार भी दिखाई देते हैं जिनमें एकाकी परिवार के तत्व निहित हैं

संदर्भ सूची

1. के. एम. पणिककर, 'हिन्दू समाज निर्णय के द्वार पर', पृष्ठ - 16
2. इरावती कर्वे, 'Kinship Organization in India', पृष्ठ - 10, Asia Publishing House, Bombay, 1965
3. पी. एन. प्रभु, 'Hindu Social Organization', A Study in Social Psychological And Ideological Foundation, पृष्ठ - 217, Popular Prakashan Bombay, 1963
4. राजेन्द्र शर्मा, 'नगरीय समाज', पृष्ठ - 51, 52, 53, Atlantic Publishers, 2003
5. बर्जेस एवं लॉक, 'The Family : From Institution to Companionship', New York: The American Book Company, 1945
6. सुनील गोयल, 'नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणा', पृष्ठ - 43, R.B.S.A Publishing House, Jaipur, 2000
7. Kingsley Davis, 'Population of India and Pakistan', Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1951
8. M.S.A. Rao, 'Reader in Urban Sociology', Orient Longman, New Delhi, 1991
9. I.P. Desai, 'Some Aspect of Family in Mahuva : A Sociological Study of Jointness in Small Town', Asia Publishing House, Bombay, 1964
10. के. एम. कपाड़िया, 'Marriage and Family in India', Oxford University Press, London, 1966
11. A.M. Shah, 'Basic Terms of Concepts in the Study of Family in India', Indian Economic and Social History Review, 1 (3) : 1964
12. M.S. Gore, 'Urbanization and Family Change', Popular Prakashan, Bombay, 1968
13. Ross, 'The Hindu Family in its Urban Setting', University of Toronto Press, 1967